

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, सभी मण्डलों के आयुक्त।
2. सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा राज्य।
3. हरियाणा सरकार के सभी उपायुक्त और उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड एवं निगम।
5. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

दिनांक: 31 दिसम्बर, 2014

विषय:- पानी की टैंकियों की सफाई एवं पीने के लिए स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था करने बारे।

महोदय/महोदया,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए सूचित करूँ कि सरकार के ध्यान में आया है कि हरियाणा राज्य के विभिन्न अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों व सार्वजनिक स्थानों आदि पर पीने के लिए पानी जिन टैंकियों से सप्लाई किया जाता है, उनके ढक्कन खुले पड़े हैं तथा टैंकियों में कार्ड व मिट्टी पड़ी हुई है। टैंकियों की सफाई की तरफ विभागों व संस्थानों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

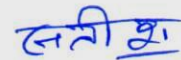
2. सरकार द्वारा उक्त विषय को गंभीरता से लिया गया है। अतः आप सभी को हिदायतें जारी की जाती हैं कि अपने अधीन कार्यालयों/हस्पतालों/स्कूलों/कालेजों/बस स्टैंडों, अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि तथा जनस्वास्थ्य तथा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के शहरों एवं गांवों में जहां पर भी पीने के लिए पानी टैंकियों/हौजों से सप्लाई किया जाता है उनकी नियमित अंतराल पर सफाई की समुचित व्यवस्था तथा पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

3. आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों की कड़ाई से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उस संस्थान/विभाग का मुखिया/विभागाध्यक्ष इसके लिए जिम्मेवार होगा।



अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रधान सचिवों, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाती है।



अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।